आवश्यक/समयबद्ध

संख्या: 25/2018/308 मु0स0/12-2-2018-60(46)/2018

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश के जनपदों में प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक कृषकों को योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1280/12-2-2018-60(46)/2018 दिनांक 09 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारित दायित्वों के क्रम में प्रदेश स्तर पर जनपद/मण्डल के संबंधित विभाग, बैंक व बीमा कम्पनी के साथ ही कृषक के कार्यो/उत्तरदायित्व तथा कार्यो के सम्पादन की समय-सारिणी निर्धारित करते हुए फसल बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यो का जनपद/मण्डल स्तर पर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी/कार्यदायी संस्थाओं से समय-सारिणी के अनुरूप कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की अपेक्षा है कि शत-प्रतिशत किसानों को फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जाए एवं किसी भी दशा में कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रह जाए। अत: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश के जनपदों में प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कृषक व कार्यदायी संस्थाओं यथा बैंक/ पैक्स/बीमा कम्पनी व राज्य सरकार के संबंधित विभागों के निर्धारित कार्य/उत्तरदायित्व व कार्यो के सम्पादन हेतु सघन प्रयास सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराते हुए फसल बीमा योजनाओं से अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करने का कष्ट करें। इस सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य में आप सभी की व्यक्तिगत रूचि वांछनीय है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 25/2018/308 मु0स0(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।